नईदुनिया

संपादकीय

शह और मात का खेल चुनावी दंगल में हल्लाबोल

दतिया की सियासी जंग में अपने ही काट रहे पैर, आपसी खींचतान दलों को कर रही बेनकाब

दतिया *विधानसभा उपचुनाव अब सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं रह गया है। यह भाजपा के लिए साख की लड़ाई और कांग्रेस के लिए वापसी का अवसर बन गया है। मैदान में उभरती तस्वीर ने सत्ता पक्ष की चिंता बढ़ा दी है। कारण विपक्ष नहीं, बल्कि भीतर का बिखराव है। भाजपा ने सीट बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री से लेकर संगठन के शीर्ष पदाधिकारी लगातार दतिया के दौरे कर रहे हैं। बड़ी सभाएं हो रही हैं और वादों की झड़ी लगी है, लेकिन जमीन पर कार्यकर्ताओं का उत्साह दिखाई नहीं दे रहा। इसकी सबसे बड़ी वजह पार्टी के भीतर पनपी खींचतान है।*

गड़बड़ी की शुरुआत टिकट वितरण से हुई। स्थानीय नेताओं और पुराने कार्यकर्ताओं की राय लिए बिना प्रत्याशी घोषित कर दिया गया। इससे पार्टी का एक बड़ा वर्ग खुद को उपेक्षित महसूस करने लगा। वर्षों से बूथ स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ता आज मंच से दूर और मैदान से नदारद हैं। पार्टी में दो धड़े साफ दिखाई दे रहे हैं। एक प्रत्याशी के साथ औपचारिकता निभा रहा है, जबकि दूसरा मौन रहकर सब देख रहा है। कुछ नेता खुलकर नाराजगी भी जता चुके हैं। यही कारण है कि चुनाव प्रचार में वह धार नहीं दिख रही, जो किसी सत्ताधारी दल में होनी चाहिए। राजनीति का पहला नियम है कि चुनाव कार्यकर्ता जिताता है। वही नाराज हो जाए तो बड़े नेता भी हार की ओर बढ़ने लगते हैं। भाजपा की इस अंदरूनी कलह ने कांग्रेस को बड़ा मुद्दा दे दिया है। कांग्रेस ने एकजुटता दिखाते हुए प्रचार तेज कर दिया है। उसके नेता घर-घर जाकर पूछ रहे हैं कि जिस पार्टी के लोग खुद एक नहीं हैं, वे जनता का भला कैसे करेंगे।कांग्रेस के लिए यह सीट रणनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यदि दतिया में जीत मिलती है तो इसका संदेश पूरे बुंदेलखंड में जाएगा। विपक्ष का मनोबल बढ़ेगा और सरकार पर राजनीतिक दबाव भी बढ़ेगा। सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी जैसे स्थानीय मुद्दों को चुनाव के केंद्र में रखा गया है।

दतिया की जनता पूरे घटनाक्रम पर नजर रखे हुए है। उसे दलों की अंदरूनी लड़ाई से कोई मतलब नहीं, बल्कि विकास और समाधान चाहिए। लोग पूछ रहे हैं कि पिछले कार्यकाल में किए गए वादों का क्या हुआ। सड़कों, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा व्यवस्था और युवाओं के रोजगार की स्थिति क्या है। जब सत्ता पक्ष के नेता ही एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हों तो जनता का विश्वास कैसे जीता जाएगा। भाजपा के लिए यह उपचुनाव प्रतिष्ठा की परीक्षा बन गया है। यदि इस बार हार होती है तो उसका असर केवल दतिया तक सीमित नहीं रहेगा। विपक्ष को पूरे प्रदेश में सरकार को घेरने का मुद्दा मिल जाएगा। शीर्ष नेतृत्व लगातार बैठकें कर रहा है और नाराज नेताओं को मनाने में जुटा है, लेकिन देर से किया गया प्रयास कितना असरदार होगा, यह परिणाम बताएगा।

चुनाव जीतने के लिए केवल पैसा और पोस्टर पर्याप्त नहीं होते। समर्पित कार्यकर्ता सबसे बड़ी ताकत होते हैं। यह उपचुनाव भाजपा संगठन के लिए भी सबक है कि कार्यकर्ताओं की भावनाओं की अनदेखी महंगी पड़ सकती है। अब मतदान में कुछ ही दिन शेष हैं। भाजपा को एकजुटता का संदेश देना होगा, जबकि कांग्रेस को अपनी एकता बनाए रखनी होगी। दतिया का उपचुनाव फिर याद दिलाता है कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता होती है और अंतिम फैसला उसी के हाथ में होता है।

आजकल

रातों-रात विभाग छिनने से मचा सियासी तूफान

मध्यप्रदेश की राजनीति में इन दिनों घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं। उपचुनाव में टिकट विवाद और भीतरघात की चर्चाओं के बीच अब मंत्री लखन पटेल से पशुपालन एवं डेयरी विभाग वापस लिए जाने ने नया राजनीतिक संदेश दिया है। विभाग वापस लेने का आदेश अचानक जारी हुआ, जिससे सत्ता और संगठन दोनों में हलचल तेज हो गई। चर्चाओं के केंद्र में दो प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं। पहला, गौशाला की जमीन से जुड़ी फाइलों में कथित अनियमितताओं की शिकायत। गौशाला भाजपा और संघ के लिए केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि वैचारिक विषय भी है, इसलिए इस मामले को गंभीरता से देखा गया। दूसरा कारण राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) को सहकारी डेयरी संघों के प्रबंधन से जुड़े समझौते की फाइलों में कथित देरी माना जा रहा है। यह परियोजना केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की प्राथमिकताओं में शामिल है।

स्वाभाविक सवाल यह भी है कि क्या इतनी महत्वपूर्ण फाइलें केवल मंत्री स्तर पर ही रुकी थीं या नौकरशाही की भूमिका भी रही। यदि जांच में अधिकारियों की जिम्मेदारी सामने आती है तो विभाग में बड़े प्रशासनिक बदलाव संभव हैं।

यह घटनाक्रम केवल एक मंत्री तक सीमित नहीं माना जा रहा, बल्कि पूरे शासन-प्रशासन के लिए संदेश है कि फाइलों में अनावश्यक देरी, लापरवाही और जवाबदेही की कमी अब स्वीकार नहीं की जाएगी। भाजपा की कार्यशैली में संगठन और केंद्रीय नेतृत्व की सतत निगरानी को हमेशा महत्वपूर्ण माना गया है।

लखन पटेल से विभाग वापस लेना केवल प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि राजनीतिक संकेत भी है। आने वाले समय में मंत्रिमंडल और प्रशासनिक स्तर पर बदलाव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अंततः किसी भी सरकार की विश्वसनीयता पारदर्शिता, समयबद्ध निर्णय और जवाबदेही से ही तय होती है। यही सुशासन की सबसे बड़ी कसौटी है।

10 मिनट की डिलीवरी ने छीनी बाजार की रौनक ...

पारंपरिक दुकानों पर मंडराया संकट, रोजगार पर भी खतरा

ऑनलाइन ऑर्डर करते ही 10 से 30 मिनट में घर के दरवाजे पर सामान पहुंचाने वाली सुविधा ने शहरों के बाजार का पूरा समीकरण बदल दिया है। दूध, ब्रेड, फल, सब्जी से लेकर दाल, चावल और दवाएं तक अब एक क्लिक पर उपलब्ध हैं। ग्राहकों के लिए यह सुविधा राहत लेकर आई है, लेकिन इसकी कीमत मोहल्ले की किराना दुकानों और पारंपरिक बाजारों को चुकानी पड़ रही है। शहर के तेल, शक्कर, दाल, चावल और किराना कारोबारियों का कहना है कि क्विक कॉमर्स के बढ़ते प्रभाव से करीब 70 प्रतिशत खुदरा व्यापार प्रभावित हुआ है। बाजारों की रौनक कम हो गई है, ग्राहकों का रुख बदल गया है और छोटा दुकानदार अब अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहा है।

ग्राहकों के लिए क्विक कॉमर्स किसी वरदान से कम नहीं है। भारी छूट, कैशबैक और फ्री डिलीवरी के कारण लोग बाजार जाना भूलते जा रहे हैं। पहले परिवार सप्ताह में एक बार बाजार जाकर महीने भर का सामान खरीदता था, लेकिन अब वही खरीदारी कई छोटे-छोटे ऑनलाइन ऑर्डरों में बंट गई है। रात में चायपत्ती खत्म हो जाए या सुबह टिफिन के लिए टमाटर चाहिए हो, कुछ ही मिनटों में सामान घर पहुंच जाता है। इस सुविधा ने लोगों की खरीदारी की आदत पूरी तरह बदल दी है, लेकिन इसके साथ एक बड़ा आर्थिक संकट भी खड़ा हो गया है।

सबसे अधिक मार छोटे और मझोले दुकानदारों पर पड़ी है। कारोबारियों का कहना है कि दुकान का किराया, बिजली का बिल, नगर निगम का टैक्स और कर्मचारियों का वेतन पहले की तरह देना पड़ रहा है, जबकि बिक्री लगातार घट रही है। ग्राहक अब थोक में सामान खरीदने के बजाय रोजाना छोटे-छोटे ऑर्डर मोबाइल ऐप से कर रहा है। इससे अनेक व्यापारी आर्थिक दबाव में आ गए हैं। यदि यही स्थिति बनी रही तो स्थानीय बाजारों की रौनक खत्म होने लगेगी और उससे जुड़े लाखों लोगों की आजीविका भी प्रभावित होगी। एक किराना दुकान केवल एक परिवार का सहारा नहीं होती, बल्कि उससे जुड़े लोडिंग, पैकिंग, परिवहन और आपूर्ति का पूरा तंत्र भी रोजगार पाता है। कारोबारियों ने सरकार की ई-कॉमर्स नीति पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि विदेशी निवेश के नियमों में बदलाव के बाद बड़ी कंपनियों को तेजी से विस्तार का अवसर मिला, जबकि पारंपरिक व्यापार को बचाने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया। उनका मानना है कि यदि समय रहते हस्तक्षेप नहीं हुआ तो आने वाले वर्षों में शहरों का खुदरा बाजार कुछ बड़ी कंपनियों तक सीमित हो जाएगा और छोटे दुकानदारों का अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। क्विक कॉमर्स कंपनियों की सबसे बड़ी ताकत उनकी भारी पूंजी, आधुनिक तकनीक और तेज डिलीवरी नेटवर्क है। अरबों रुपये के निवेश के बल पर वे शुरुआती नुकसान उठाकर भी कम कीमत पर सामान बेच रही हैं, ताकि ग्राहकों की खरीदारी की आदत बदल जाए। शहरों में हर दो से तीन किलोमीटर पर डार्क स्टोर बनाए गए हैं, जहां से चौबीसों घंटे डिलीवरी की जा रही है। कंपनियों के पास ग्राहकों की खरीदारी का विस्तृत डाटा होता है और उसी के अनुसार स्टॉक रखा जाता है। इसके मुकाबले पारंपरिक दुकानदार न तो इतनी पूंजी जुटा सकता है और न ही इतनी उन्नत तकनीक अपना सकता है।

देश में खुदरा व्यापार से लगभग सात करोड़ लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं। एक छोटी दुकान औसतन तीन से चार लोगों को रोजगार देती है। कारोबारियों का दावा है कि क्विक कॉमर्स के विस्तार के बाद खुदरा बिक्री में 40 से 50 प्रतिशत तक गिरावट आई है। डिलीवरी बॉय को रोजगार जरूर मिला है, लेकिन वह अधिकतर अस्थायी और असुरक्षित है, जबकि पारंपरिक व्यापार स्थायी आजीविका का आधार रहा है।

इस स्थिति से निपटने के लिए कारोबारियों ने मांग की है कि क्विक कॉमर्स कंपनियों के डार्क स्टोर को भी खुदरा दुकानों की श्रेणी में लाकर उन पर समान नियम लागू किए जाएं। छोटे व्यापारियों को डिजिटल तकनीक अपनाने के लिए सस्ती वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण दिया जाए। साथ ही स्थानीय व्यापार को प्रोत्साहित करने वाली नीतियां बनाई जाएं।

क्विक कॉमर्स को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि यह समय की मांग है, लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं कि पारंपरिक व्यापार को समाप्त होने दिया जाए। ग्राहक की सुविधा और स्थानीय व्यापार, दोनों के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। बाजार केवल सामान खरीदने-बेचने की जगह नहीं होता, बल्कि वह विश्वास, सामाजिक संबंधों और लाखों लोगों की आजीविका का आधार भी होता है। यदि समय रहते संतुलित नीति नहीं बनाई गई, तो भविष्य में शहरों में बड़ी कंपनियों के डार्क स्टोर तो होंगे, लेकिन मोहल्लों की जीवंत बाजार संस्कृति धीरे-धीरे इतिहास बन जाएगी।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)

हिट एंड रन में एमपी टॉपः आधे पीड़ित अब भी मुआवजे को तरस रहे

मध्य प्रदेश की सड़कों पर मौत का सफर थमने का नाम नहीं ले रहा। यहां हर दिन सैकड़ों हादसे होते हैं। इनमें सबसे खतरनाक हिट एंड रन के मामले हैं। टक्कर मारकर भाग जाना अब आम बात हो गई है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि इस मामले में मध्य प्रदेश पूरे देश में पहले नंबर पर है। सबसे दुखद बात यह है कि हादसों के शिकार लोगों को सरकार से मिलने वाली मदद भी नहीं मिल पा रही। वर्ष 2020 से 2024 तक मध्य प्रदेश में 60 हजार से अधिक हिट एंड रन के मामले दर्ज किए गए। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, जहां 38 हजार मामले दर्ज हुए। यानी देश में हुए कुल 3 लाख 15 हजार हिट एंड रन मामलों में से करीब 19 प्रतिशत अकेले मध्य प्रदेश में हुए।

पिछले पांच वर्षों से प्रदेश इस सूची में शीर्ष पर बना हुआ है। हर साल हादसों की संख्या बढ़ रही है। सड़कों पर रफ्तार और लापरवाही लोगों की जान ले रही है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 में हिट एंड रन पीड़ितों के लिए नई योजना शुरू की थी। योजना के तहत हादसे में मौत होने पर दो लाख रुपये और गंभीर चोट पर 50 हजार रुपये की सहायता दी जाती है। इस सहायता का मकसद पीड़ित परिवार को तुरंत राहत देना था, लेकिन मध्य प्रदेश में यह योजना कागजों तक ही सीमित रह गई। पिछले चार वर्षों में 1,234 दावे किए गए। इनमें से सिर्फ 592 दावों का ही भुगतान हो सका। यानी आधे से ज्यादा पीड़ित अब भी मदद के इंतजार में हैं। वर्ष 2022-23 में 73 दावे आए, जिनमें 34 का भुगतान हुआ। वर्ष 2023-24 में 231 दावे आए, जिनमें 133 का भुगतान हुआ। वर्ष 2024-25 में 929 दावे दर्ज हुए। वर्ष 2025-26 में अब तक 425 नए दावे आ चुके हैं।

मुआवजा देने के मामले में मध्य प्रदेश सबसे पीछे है। बिहार में 82 प्रतिशत दावों का निपटारा हो गया, झारखंड में 76 प्रतिशत, आंध्र प्रदेश में 75 प्रतिशत और गुजरात में 71 प्रतिशत दावे निपटाए गए। मध्य प्रदेश में यह आंकड़ा 47 प्रतिशत से भी कम है। मुआवजा मिलने में देरी के कई कारण हैं। सबसे बड़ी समस्या कागजी प्रक्रिया है। पुलिस रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बीमा संबंधी दस्तावेज तैयार होने में महीनों लग जाते हैं। ग्रामीण इलाकों के लोग इन दफ्तरों के चक्कर काटते-काटते थक जाते हैं।

हिट एंड रन मामलों में गाड़ी और चालक का पता नहीं चलता। ऐसे में बीमा कंपनी भुगतान करने से इन्कार कर देती है। अधिकारियों की लापरवाही भी एक बड़ा कारण है। फाइलें एक मेज से दूसरी मेज तक घूमती रहती हैं। कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता।

सड़क सुरक्षा विशेषज्ञ इसके कई कारण गिनाते हैं। तेज रफ्तार, हाईवे और शहरों की सड़कों पर गति सीमा का प्रभावी पालन न होना, शराब पीकर वाहन चलाना, मोबाइल पर बात करते हुए ड्राइविंग करना तथा पैदल चलने वालों के लिए सुरक्षित व्यवस्था का अभाव प्रमुख कारण हैं। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में सड़कों का जाल तेजी से बढ़ा है, लेकिन सड़क सुरक्षा के इंतजाम उसी अनुपात में नहीं बढ़े। स्पीड कैमरों, ट्रैफिक पुलिस और जनजागरूकता की कमी साफ दिखाई देती है।

हिट एंड रन में मरने वाले के परिवार पर दोहरी मार पड़ती है। पहले घर का कमाने वाला चला जाता है, फिर मुआवजे के लिए वर्षों तक भटकना पड़ता है। कई परिवार कर्ज लेकर अंतिम संस्कार करते हैं। उन्हें लगता है कि सरकार से मदद मिल जाएगी, लेकिन जब मदद नहीं मिलती तो भूख और कर्ज दोनों का बोझ बढ़ जाता है। महिलाएं और बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा को लेकर कई अभियान चलाए। स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम हुए, हेलमेट और सीट बेल्ट को लेकर चालान भी किए गए। मुआवजे के लिए ऑनलाइन पोर्टल भी बनाया गया, लेकिन जमीनी हकीकत अलग है। गांव के लोगों को पोर्टल की जानकारी नहीं है। वे तहसील और कलेक्ट्रेट के चक्कर काट रहे हैं। अधिकारियों को लक्ष्य नहीं दिया गया है, इसलिए फाइलें धीमी गति से चल रही हैं।

सड़क सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। हर हाईवे और शहर में स्पीड गन तथा सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। शराब पीकर वाहन चलाने वालों का लाइसेंस तुरंत रद्द हो। हर जिले में सड़क सुरक्षा सेल बनाया जाए। मुआवजे के दावों के निपटारे की समय-सीमा 30 दिन तय हो। देरी करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई हो। सबसे जरूरी है जनजागरूकता। लोगों को बताया जाए कि हादसा होने पर घायल को छोड़कर भागना अपराध है। घायल को अस्पताल पहुंचाना कानूनन जरूरी है।

सड़क हादसे सिर्फ जान ही नहीं लेते, बल्कि अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचाते हैं। एक युवा की मौत का मतलब है परिवार की आय का स्रोत खत्म होना। अस्पताल का खर्च अलग। सरकार का मुआवजा न देना इस घाव को और गहरा करता है। यदि 1,234 में से 592 लोगों को ही मदद मिली है, तो 642 परिवार अब भी दर-दर भटक रहे हैं। यह आंकड़ा छोटा नहीं है। सरकार के साथ समाज की भी जिम्मेदारी है। ड्राइविंग करते समय मोबाइल का उपयोग न करें, नशे में वाहन न चलाएं और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन न करें। मीडिया, स्कूल और पंचायतें मिलकर लोगों को जागरूक करें। तभी हादसों की संख्या कम होगी।

मध्य प्रदेश के लिए यह आंकड़ा शर्मनाक है। हम हिट एंड रन में नंबर वन हैं और मुआवजा देने में सबसे पीछे। हर आंकड़े के पीछे एक परिवार की कहानी है, एक टूटा हुआ घर है। सरकार को तुरंत इस पर ध्यान देना चाहिए। प्रक्रिया सरल होनी चाहिए, जवाबदेही तय होनी चाहिए और पीड़ित को उसका हक समय पर मिलना चाहिए। वरना हर साल हजारों लोग सड़क पर जान गंवाते रहेंगे और उनके परिवार मुआवजे के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाते रहेंगे। मध्य प्रदेश को इस सूची में शीर्ष से नीचे आना होगा। तभी हम कह सकेंगे कि हमारा प्रदेश सच में विकास कर रहा है।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)

दशक बाद पदोन्नति का रास्ता खुला, लेकिन विवाद अभी बाकी

मध्यप्रदेश में एक दशक बाद पदोन्नति आदेश जारी हुए हैं। बीते दस वर्षों में जो कर्मचारी बिना पदोन्नति के सेवानिवृत्त हो गए, उनकी पीड़ा अब भी अनसुनी है। पदोन्नति में आरक्षण का विवाद, जिसकी शुरुआत वर्ष 2002 में कांग्रेस सरकार के दौरान हुई थी, उसके दुष्प्रभाव आज भी जारी हैं। कर्मचारियों को इसका खामियाजा लंबे समय से भुगतना पड़ रहा है और इसका राजनीतिक नुकसान भी कांग्रेस को उठाना पड़ा।

मध्यप्रदेश में पदोन्नति में आरक्षण की कहानी दिग्विजय सिंह सरकार के समय शुरू हुई। उस दौर में कुछ अधिकारियों ने शासन में 'डिवाइड एंड रूल' की नीति को बढ़ावा दिया। इसके प्रमुख चेहरों में तत्कालीन मुख्यमंत्री के सचिव अमर सिंह का नाम चर्चित रहा। हालांकि कर्मचारियों को इसका नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन अमर सिंह का राजनीतिक भविष्य सफल रहा और वे पंजाब से सांसद बने।

दिग्विजय सरकार की पदोन्नति नीति को वर्ष 2016 में हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया था। तब से कर्मचारियों और अधिकारियों की पदोन्नतियां रुकी हुई थीं। इस दौरान जितने भी मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने मामला न्यायालय पर छोड़कर अपनी जिम्मेदारी पूरी मान ली।

वर्तमान में जारी पदोन्नतियां भी न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन रहेंगी। यदि अदालत का फैसला राज्य सरकार की नीति के विरुद्ध जाता है तो इन पदोन्नतियों पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है। ऐसा पहले उत्तर प्रदेश में हो चुका है, जहां मायावती सरकार की पदोन्नति में आरक्षण नीति को बाद में न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था। इसके बाद मुलायम सिंह यादव सरकार ने न केवल नीति समाप्त की, बल्कि पदोन्नत कर्मचारियों की वरिष्ठता भी रोक दी।

मध्यप्रदेश में भी नई पदोन्नति नीति न्यायालय में चुनौती के अधीन है। इसके बावजूद मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री की पहल पर विधिक राय लेकर, बिना स्थगन आदेश की स्थिति में पदोन्नति प्रक्रिया शुरू की गई है।

पदोन्नति में आरक्षण को लेकर कई राज्यों में कानूनी विवाद जारी हैं। उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों का स्पष्ट मत है कि इसके लिए सरकारों के पास ठोस डाटाबेस होना चाहिए, जिससे यह प्रमाणित हो सके कि संबंधित वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। अब तक कोई भी राज्य सरकार ऐसा डाटाबेस प्रस्तुत नहीं कर सकी है। आरक्षण एक संवैधानिक व्यवस्था है, राजनीतिक हथियार नहीं। सरकारों को समयबद्ध पदोन्नति सुनिश्चित करने के साथ आवश्यक डाटाबेस भी तैयार करना चाहिए, ताकि कर्मचारियों को वर्षों तक अनिश्चितता का सामना न करना पड़े। फिलहाल पदोन्नतियां शुरू तो हो गई हैं, लेकिन अंतिम राहत अब भी न्यायालय के अंतिम फैसले पर निर्भर है।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)

2753 करोड़ के अर्बन चैलेंज फंड से बदलेगी शहरों की तस्वीर

मध्य प्रदेश अब शहरी विकास की नई उड़ान भरने की तैयारी में है। केंद्र सरकार ने अर्बन चैलेंज फंड के तहत प्रदेश के लिए 2753 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। इस राशि का उपयोग प्रदेश के प्रमुख शहरों और बड़े जिलों में आधारभूत सुविधाओं के आधुनिकीकरण के लिए किया जाएगा। राज्य सरकार का उद्देश्य सभी बड़े शहरों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़कर नागरिकों का जीवन स्तर बेहतर बनाना है।

लंबे समय से प्रदेश के शहरों में ट्रैफिक जाम, जल निकासी की समस्या, पार्किंग की कमी और जर्जर सड़कों को लेकर शिकायतें उठती रही हैं। अर्बन चैलेंज फंड के माध्यम से इन समस्याओं के समाधान का प्रयास किया जाएगा। यह राशि किसी एक शहर तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रदेश के सभी बड़े जिलों के संतुलित विकास के लिए निर्धारित की गई है।

अर्बन चैलेंज फंड केंद्र सरकार की अमृत योजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य शहरी नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाना है। इस परियोजना में केंद्र और राज्य सरकार 50-50 प्रतिशत की साझेदारी करेंगी। कुल 2753 करोड़ रुपये में केंद्र और राज्य, दोनों का योगदान 1376 करोड़ रुपये रहेगा।

मध्य प्रदेश की बढ़ती आबादी के साथ शहरों पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। सड़कें संकरी पड़ रही हैं, जलापूर्ति पर दबाव है और सार्वजनिक सुविधाओं की मांग बढ़ती जा रही है। ऐसे समय में यह फंड प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण अवसर लेकर आया है। भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, रीवा, सतना, कटनी, देवास, रतलाम, खंडवा, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा सहित अन्य प्रमुख शहरों में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार परियोजनाएं तैयार की जाएंगी। कहीं सड़कों का चौड़ीकरण होगा, कहीं पार्किंग का निर्माण होगा, तो कहीं जलापूर्ति और सीवरेज व्यवस्था को आधुनिक बनाया जाएगा।

राजधानी भोपाल में यातायात व्यवस्था और सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ग्वालियर में ऐतिहासिक क्षेत्रों के आसपास सौंदर्यीकरण और पर्यटन सुविधाओं का विकास होगा। जबलपुर में औद्योगिक क्षेत्रों और आवासीय कॉलोनियों की बेहतर कनेक्टिविटी पर काम होगा, जबकि सागर और रीवा जैसे शहरों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य संस्थानों तक पहुंच आसान बनाने के लिए सड़क और पुल विकसित किए जाएंगे।

धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व वाले शहरों को भी योजना में प्राथमिकता दी गई है। श्रद्धालुओं के लिए पार्किंग, स्वच्छ पेयजल, साफ-सफाई और अन्य सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय व्यापार, होटल तथा परिवहन क्षेत्र को भी लाभ पहुंचेगा।

2753 करोड़ रुपये का यह निवेश प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी नई गति देगा। निर्माण कार्यों से हजारों कुशल और अकुशल श्रमिकों को रोजगार मिलेगा। सीमेंट, सरिया और अन्य निर्माण सामग्री की मांग बढ़ने से स्थानीय उद्योगों को भी लाभ होगा। बेहतर आधारभूत संरचना से व्यापार और निवेश के नए अवसर पैदा होंगे तथा छोटे और मध्यम उद्योगों को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

योजना की एक महत्वपूर्ण विशेषता पर्यावरण संरक्षण भी है। शहरों में ग्रीन बेल्ट, पार्क, खुले स्थान, साइकिल ट्रैक और पैदल पथ विकसित किए जाएंगे। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और जल शोधन संयंत्र स्थापित किए जाएंगे, ताकि नदियों और तालाबों को प्रदूषण से बचाया जा सके। स्मार्ट लाइटिंग और डिजिटल निगरानी प्रणाली से शहरी सुरक्षा भी मजबूत होगी।इतनी बड़ी राशि का प्रभावी उपयोग अपने आप में चुनौती है। पूर्व के अनुभव बताते हैं कि कई योजनाएं देरी और अनियमितताओं से प्रभावित हुई हैं। इसलिए इस बार पारदर्शिता और समयबद्ध क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया गया है। प्रत्येक जिले में निगरानी समिति बनाई जाएगी और स्थानीय जनप्रतिनिधियों तथा नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी, ताकि योजनाओं का लाभ वास्तविक जरूरतों के अनुसार मिल सके। इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसका लाभ प्रदेश के सभी बड़े जिलों को मिलेगा। इससे क्षेत्रीय असमानता कम होगी और संतुलित विकास को गति मिलेगी। छोटे शहरों में भी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होने से पलायन कम होगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

सरकार के प्रयासों के साथ नागरिकों की भागीदारी भी उतनी ही आवश्यक है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, स्वच्छता और नियमों का पालन हर नागरिक का दायित्व है। यदि योजनाएं समय पर और गुणवत्ता के साथ पूरी होती हैं, तो आने वाले वर्षों में मध्य प्रदेश के शहर देश के विकसित और सुव्यवस्थित शहरों में अपनी अलग पहचान बना सकेंगे।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)